

भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण¹

बनाम

जी अथीपति और अन्य

(2024 की दीवानी अपील सं. 14100)

09 दिसंबर 2024

[सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह,* न्यायमूर्तिगण]

विचार के लिए मुद्दा

अपीलकर्ता-प्राधिकरण में उप महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए मानदंडों के संबंध में मुद्दा उठाया गया; और क्या उत्तरदाता को प्रतिनिधित्व पर अपनी पिछली सेवा के लाभ के साथ एक नए प्रवेशकर्ता के रूप में माना जाना चाहिए या उसे उस तारीख से एक नए नियुक्त व्यक्ति के रूप में माना जाना चाहिए जिस तारीख को उसे चयनित किया गया था।

निर्णय सार

सेवा कानून - पदोन्नति - पदोन्नति के लिए प्रतिनिधित्व सेवा अवधि की गिनती - उत्तरदाता को अपीलकर्ता-प्राधिकरण में 6 वर्षों के लिए उसके प्रतिनिधित्व के बाद मूल विभाग में वापस भेजा गया - उत्तरदाता 1 वर्ष के अंतराल के बाद सीधी भर्ती के आधार पर प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर अपीलकर्ता में फिर से शामिल हुआ - उसके बाद, अपीलकर्ता-प्राधिकरण ने उप महाप्रबंधक के पद पर पदोन्नति के लिए प्रबंधकों से आवेदन आमंत्रित किए - उत्तरदाता का आवेदन 4 वर्षों के न्यूनतम अनुभव मानदंड को पूरा न करने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया - चुनौती - अधिकरण ने पदोन्नति के लिए प्रतिनिधित्व सेवा अवधि की गिनती करने के लिए प्राधिकरण को निर्देश दिया और उसके फलस्वरूप, उत्तरदाता को नियुक्त किया गया - उच्च न्यायालय ने अधिकरण के उक्त आदेश को बरकरार रखा - सत्यता:

अभिनिर्धारित: पिछली सेवाओं को केवल तभी ध्यान में रखा जा सकता है जब नियम इसकी

¹ इसे 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण' पढ़ा जाएगा।

अनुमति देते हैं या जहां कोई विशेष स्थिति मौजूद हो, जो कर्मचारी को पिछली सेवा का ऐसा लाभ प्राप्त करने के हकदार बनाएगी - परिपत्र उत्तरदाता को उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार के लिए कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगा जिस तारीख से अधिकरण ने अपीलकर्ता-प्राधिकरण को उत्तरदाता को उक्त पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया - उत्तरदाता को उसके मूल विभाग में वापस भेजना पूर्णकालिक आधार पर था और अपीलकर्ता-प्राधिकरण से असंबंधित था - उत्तरदाता प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर सीधे अपीलकर्ता-प्राधिकरण की सेवा में एक नया और ताजा भर्ती था, जो अपीलकर्ता-प्राधिकरण के साथ उसकी पिछली सेवा से पूरी तरह से असंबंधित/असंयोजित था, जो लेनदेन पूरा हो गया था और जब उत्तरदाता को उसके मूल विभाग में वापस भेजा गया था तो अंतिम रूप से पहुंच गया था - चूंकि उसे ऐसी स्थायी नियुक्ति से एक वर्ष से अधिक समय पहले उसके मूल विभाग में वापस भेजा गया था, इसे 'विलयन' नहीं कहा जा सकता है जो परिपत्र के खंड 6 में उल्लेख पाता है - उत्तरदाता उसी कतार में खड़ा नहीं है जिसमें अन्य व्यक्ति थे, क्योंकि वे प्रासंगिक समय पर अपीलकर्ता-प्राधिकरण के साथ काम कर रहे थे - खंड 6 का उद्देश्य प्रतिनिधित्व पर काम करने वाले व्यक्ति और नियमित रूप से काम करने वाले व्यक्ति के बीच के अंतर को मिटाना था - उत्तरदाता किसी भी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि एक स्थायी आधार पर-उसे उसके मूल विभाग में वापस भेजा जाना के कारण अपीलकर्ता-प्राधिकरण की सेवा से अनुपस्थित था - 'प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करना-तकनीकी इस्तीफा/सेवानिवृत्ति आदि जमा करना/स्वीकार करना' उत्तरदाता की स्थिति को कवर नहीं करेगा - उत्तरदाता को उप महाप्रबंधक के पदों पर पदोन्नति के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले परिपत्र को जारी करने की तारीख से पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा सकता था जैसा कि अधिकरण के निर्देश के अनुसार था क्योंकि उसने प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर सीधी भर्ती के पश्चात उस पद पर शामिल होने के बाद चार वर्ष पूरे नहीं किए थे, जिस पर सेवा केवल उसकी नियुक्ति की तारीख से मानी जा सकती थी - आक्षेपित आदेश के साथ ही

अधिकरण का आदेश भी कायम नहीं रखा जा सकता है और उसे अपास्त किया जाता है – उत्तरदाता को भर्ती विनियमों और परिपत्र के नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए विचार किया जाना चाहिए। [कंडिका 23-29]

न्याय दृष्टान्त

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम संजीव कुमार शर्मा, 2016 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्ली 2698; इंदु शेखर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [[2006] सप्ली. 1 एस.सी.आर. 497 : (2006) 8 एस.सी.सी. 129] – को संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996।

मुख्य शब्दों की सूची

पदोन्नति के लिए मानदंड; उप महाप्रबंधक का पद; प्रतिनिधित्व पर पिछली सेवा का लाभ; ताजा नियुक्त व्यक्ति; पदोन्नति; पदोन्नति के लिए प्रतिनिधित्व सेवा अवधि की गिनती; वापसी; प्रतिनिधित्व; सीधी भर्ती; प्रबंधक (तकनीकी) का पद; न्यूनतम अनुभव मानदंड; मूल विभाग; विलयन; कार्यकारी समिति का कार्यवृत्त; सेवा से अनुपस्थित; प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करना; स्थायी आधार; तकनीकी इस्तीफा/सेवानिवृत्ति आदि जमा करना/स्वीकार करना।

प्रकरण से उत्पन्न

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी अपील सं. 14100 of 2024

मद्रास उच्च न्यायालय के डब्ल्यू.पी. सं. 11060 of 2021 में दिनांक 01.03.2023 के निर्णय और आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

संतोष कुमार-1, अर्जुन सिंह भाटी, अधिवक्तागण अपीलकर्ता के लिए।

ए. लक्ष्मीनारायणन, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायमूर्ति

अनुमति दी गई।

2. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री संतोष कुमार और उत्तरदाता सं. 1 के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री ए. लक्ष्मीनारायणन को सुना गया।
3. वर्तमान अपील डब्ल्यू.पी. सं. 11060 of 2021 में मद्रास के न्यायिक उच्च न्यायालय (इसके बाद "उच्च न्यायालय" के रूप में संदर्भित) के खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 01.03.2023 के अंतिम निर्णय और आदेश (इसके बाद "आक्षेपित आदेश" के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न होती है, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था और ओ.ए. सं. 310/01633/2020 में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, चेन्नई पीठ (इसके बाद "सी.ए.टी" के रूप में संदर्भित) द्वारा दिए गए दिनांक 30.12.2020 के निर्णय को बरकरार रखा गया था

तथ्यात्मक संरचना:

4. उत्तरदाता सं. 1 शुरुआत में तमिलनाडु सरकार की सेवा में सहायक अभियंता के रूप में काम कर रहा था। अपीलकर्ता ने, दिनांक 27.05.2008 के एक आदेश द्वारा, उसे प्रतिनिधित्व आधार पर प्रबंधक (तकनीकी) के रूप में दिनांक 21.05.2008 से प्रभावी, शुरुआत में तीन वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया। उसने दिनांक 13.06.2014 तक छह वर्षों की अवधि के लिए लगातार काम किया, जब उसे मूल विभाग अर्थात् राजमार्ग और लघु बंदरगाह विभाग, तमिलनाडु सरकार में वापस भेजा गया। इस बीच, अपीलकर्ता द्वारा सीधी भर्ती के आधार पर प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए दिनांक 15.03.2014 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। उत्तरदाता सं. 1 ने, दिनांक 11.04.2014 को, मूल विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उक्त पद के लिए आवेदन किया था। अपनी

वापसी के बाद, वह दिनांक 23.08.2014 को लिखित परीक्षा में शामिल हुआ और अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 11.09.2014 के आदेश के माध्यम से प्रबंधक (तकनीकी) के रूप में चयनित हुआ। दिनांक 26.08.2015 को, उत्तरदाता सं. 1 प्रबंधक (तकनीकी) के रूप में शामिल हुआ। उत्तरदाता सं. 1 की नियुक्ति का आदेश अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 02.09.2015 को दिनांक 26.08.2015 से प्रभावी होने के साथ पारित किया गया था।

5. प्रबंधक (तकनीकी) का पद उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए फीडिंग कैडर है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 1996 (इसके बाद "भर्ती विनियम" के रूप में संदर्भित) के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति उन उम्मीदवारों से की जा सकती है जो कम से कम 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर लगातार कार्यरत हों। इस प्रकार, अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 22.05.2017 को एक परिपत्र (इसके बाद "परिपत्र" के रूप में संदर्भित) जारी किया गया था जिसमें उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए सभी पात्र प्रबंधकों (तकनीकी) से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त परिपत्र का खंड 6 यहां नीचे निकाला गया है:

"6. यह भी तय किया गया है कि उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य से एनएचएआई में प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर प्रदान की गई प्रतिनिधित्व सेवा (यदि कोई हो) को नियमित सेवा के रूप में माना जाएगा। यह भी तय किया गया है कि प्रबंधक (तकनीकी), जब पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति के लिए पात्रता मानदंड पूरा करने की तारीख से प्रभावी होने के साथ उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर काल्पनिक रूप से पदोन्नत किया जाएगा, लेकिन ओ.ए 3696/2014 और 3762/2014 में आवेदकों के विलयन की तारीख और पदोन्नति की तारीख अर्थात् दिनांक 29.12.2014 से पहले नहीं, बशर्ते चयन समिति की सिफारिशें हों। वास्तविक पदोन्नति उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद के खिलाफ प्रभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।"

6. उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए नियमित सेवा के रूप में प्रतिनिधित्व सेवा पर विचार करने का मुद्दा दिनांक 12.10.2017 को आयोजित अपीलकर्ता की कार्यकारी समिति की एक बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। उस पर निर्णय, जैसा कि दिनांक 20.10.2017 के बैठक कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, यहां पुनः उत्पादित किया गया है:

“(सी) एक सख्त एक बार के उपाय के रूप में और एक विशेष मामले के रूप में, प्रतिनिधित्व सेवा (प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए एनएचएआई से अनुपस्थिति की अवधि सहित, उदा. तकनीकी इस्तीफा/सेवानिवृत्ति आदि जमा करना/स्वीकार करना) को उन प्रबंधकों (तकनीकी) के संबंध में उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता गिनने के उद्देश्य से नियमित सेवा के रूप में माना जाएगा जो बाद में प्रबंधक (तकनीकी) के रूप में सीधी भर्ती आधार पर एनएचएआई में नियुक्त किए गए हैं। यह लंबे समय से चल रहे मुकदमेबाजी को भी समाप्त करेगा और उन उम्मीदवारों को निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करेगा जिन्होंने सीधी भर्ती के लिए जाकर प्रतिस्पर्धा का सामना करना चुना था।”

7. उत्तरदाता सं. 1 ने उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए आवेदन किया। अपीलकर्ता की स्क्रीनिंग समिति ने उसे ‘पात्र नहीं’ घोषित किया। तदनुसार, अपीलकर्ता द्वारा उप महाप्रबंधकों (तकनीकी) के पदों के संबंध में उनतालीस प्रबंधकों (तकनीकी) के संबंध में दिनांक 26.09.2017 को एक पदोन्नति आदेश पारित किया गया था। उसके बाद, उत्तरदाता सं. 1 ने दिनांक 18.06.2018, 22.11.2018 और 24.04.2019 को अपीलकर्ता को अपने अभ्यावेदन भेजे ताकि उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सके। चूंकि उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, उसने ओ.ए. सं. 310/00992/2019 के माध्यम से सी.ए.टी से संपर्क किया, जिसे दिनांक 26.07.2019 के आदेश के माध्यम से निपटाया गया था। सी.ए.टी ने अपीलकर्ता को परिपत्र के प्रकाश में उपरोक्त अभ्यावेदनों पर विचार करने और चार महीनों के भीतर एक बोलने वाला आदेश पारित करने का निर्देश दिया।

8. उत्तरदाता सं. 1 के अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, अपीलकर्ता ने दिनांक 05.11.2019 के आदेश के माध्यम से यह देखा कि उसके मामले को तीन अन्य अधिकारियों के समान नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन अधिकारियों ने अपीलकर्ता में काम करते हुए प्रबंधक (तकनीकी) की सीधी भर्ती परीक्षा में भाग लिया था जबकि उत्तरदाता सं. 1 ने अपनी वापसी के बाद परीक्षा दी थी और अपने मूल विभाग में काम कर रहा था। व्यथित होकर, उत्तरदाता सं. 1 ने ओ.ए. सं. 310/01633/2020 दायर करके फिर से सी.ए.टी से संपर्क किया और प्रार्थना की:

“चौथे उत्तरदाता के आक्षेपित कार्यालय आदेश सं. 11041/242/2017-प्रशासन.॥ (पीटी) दिनांक 05.11.2019 से संबंधित अभिलेख मंगाने और उसे अभिखंडित करने और उत्तरदाताओं को उप महाप्रबंधक (टी) के रूप में पदोन्नति के लिए दिनांक 21.05.2008 से 13.06.2014 तक आवेदक की प्रतिनिधित्व सेवा गिनने और तीन समान रूप से रखे गए अधिकारियों के संबंध में किए गए अनुसार दिनांक 27.10.2017 से और प्रभावी होने के साथ आवेदक को उप महाप्रबंधक के रूप में और दिनांक 27.04.2018 से प्रभावी होने के साथ महाप्रबंधक (टी) के रूप में अन्य सभी सेवाओं और मौद्रिक लाभों सहित वेतन निर्धारण, वरिष्ठता, आदि के साथ पदोन्नत करने का निर्देश देने और ऐसे आगे के या अन्य आदेश पारित करने का निर्देश देने जैसा कि माननीय अधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उपयुक्त मान सकता है और इस प्रकार न्याय प्रदान करने।”

9. सी.ए.टी ने, पक्षों को सुनने और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करने के बाद, दिनांक 30.12.2020 के आदेश के माध्यम से उत्तरदाता सं. 1 द्वारा दायर मूल आवेदन को अनुमति दी। इसने अपीलकर्ता को उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए दिनांक 21.05.2008 से 13.06.2014 तक उत्तरदाता सं. 1 की प्रतिनिधित्व सेवा अवधि गिनने और उसे सभी परिणामी लाभों के साथ दिनांक 27.10.2017 से प्रभावी होने के साथ उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के रूप में पदोन्नत करने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता को आगे नियमों के अनुसार महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए उसके मामले पर

विचार करने का निर्देश दिया गया था। सी.ए.टी के आदेश के पालन में, उत्तरदाता सं. 1 को दिनांक 07.06.2021 को उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नत किया गया था। अपीलकर्ता ने डब्ल्यू.पी. सं. 11060 of 2021 के माध्यम से उच्च न्यायालय में दिनांक 30.12.2020 के सी.ए.टी आदेश को चुनौती दी, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2023 के माध्यम से खारिज कर दिया गया है।

अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुतियाँ:

10. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय इस पर विचार करने में विफल रहा कि भर्ती विनियमों की अनुसूची के अनुसार, उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति, *अन्य बातों के अलावा*, कम से कम चार वर्षों की अवधि के लिए प्रबंधक (तकनीकी) के पद को लगातार धारण करने वाले उम्मीदवारों को पदोन्नत करके की जा सकती है। यह बताया गया कि उत्तरदाता सं. 1 प्रतिनिधित्व आधार पर अपीलकर्ता में शामिल हुआ और दिनांक 13.06.2014 तक काम किया, जब उसे उसके मूल विभाग में वापस भेजा गया। उसके बाद, उत्तरदाता सं. 1 दिनांक 26.08.2015 को प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर सीधी भर्ती आधार पर अपीलकर्ता में फिर से शामिल हुआ अर्थात्, 1 वर्ष और 2 महीने के अंतराल के बाद। यह दलील दी गई कि इस अंतराल के कारण प्रतिनिधित्व आधार पर उत्तरदाता सं. 1 द्वारा प्रदान की गई सेवा पर विचार नहीं किया जा सकता था और उसी के दृष्टिकोण में, वह सीधी भर्ती आधार पर नियुक्ति की तारीख से चार वर्षों की सेवा के बाद ही उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो सकता था अर्थात्, दिनांक 26.08.2015। इस प्रकार, उत्तरदाता सं. 1 दिनांक 27.07.2017 को पदोन्नति के लिए अपात्र था अर्थात्, जिस तारीख से सी.ए.टी ने अपीलकर्ता को उत्तरदाता सं. 1 को उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया है।
11. विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी कि प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर प्रतिनिधित्व सेवा पर उत्तरदाता सं. 1 और अन्य उम्मीदवारों को उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति

के लिए समान रूप से नहीं माना जा सकता है क्योंकि, सीधी भर्ती परीक्षा की तारीख पर, अर्थात्, दिनांक 23.08.2014, उत्तरदाता सं. 1 एक प्रबंधक (तकनीकी) के रूप में पदस्थ नहीं था क्योंकि उसे पहले ही उसके मूल विभाग में वापस भेजा जा चुका था। जबकि, तीन अन्य उम्मीदवार, जिनके साथ उत्तरदाता सं. 1 समानता का दावा करता है, प्रबंधक (तकनीकी) के पद के लिए लिखित परीक्षा की तारीख पर अपीलकर्ता की सेवा में जारी थे।

12. इसके बाद, यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय इस पर विचार करने में विफल रहा कि न तो भर्ती विनियम और न ही दिनांक 12.10.2017 की 320 वीं कार्यकारी समिति की बैठक का निर्णय, अनुपस्थिति की किसी भी विस्तारित अवधि को नियमित करता है और बल्कि, केवल प्रशासनिक कारणों से एक अवधि को माफ कर दिया था जो उत्तरदाता सं. 1 के मामले में केवल 20 दिन है। यह दलील दी गई कि 20 दिनों की इस अवधि को अपीलकर्ता द्वारा नियमित कर दिया गया है, हालांकि, दिनांक 13.06.2014 से 26.08.2015 तक की अवधि जिसमें उत्तरदाता सं. 1 अपने मूल विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में था उसे भर्ती विनियमों के अनुसार उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए नहीं माना जा सकता है। उसी के दृष्टिकोण में, स्क्रीनिंग समिति ने उत्तरदाता सं. 1 के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था।
13. आगे, यह दलील दी गई कि परिपत्र दिल्ली उच्च न्यायालय के **डब्ल्यू.पी. (दीवानी) सं. 9227/2014** शीर्षक **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम संजीव कुमार शर्मा** में दिए गए निर्णय के आधार पर जारी किया गया था। उपर्युक्त मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 05.04.2016 के आदेश के माध्यम से यह देखा था कि याचिकाकर्ताओं के सेवा में कोई अंतराल नहीं था। इस प्रकार, परिपत्र ने सेवा में किसी भी अंतराल के नियमितीकरण का विचार नहीं किया था।
14. इसके बाद, यह दलील दी गई कि पदोन्नति एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से थी न कि

वरिष्ठता पर आधारित। भर्ती विनियमों का विनियम 12(2) यह प्रदान करता है कि, आवेदन प्राप्त होने पर, स्क्रीनिंग समिति पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों के संबंध में आवेदनों की जांच करेगी, और लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर या जैसा कि चयन समिति द्वारा तय किया जाता है, अंतिम चयन के लिए चयन समिति के विचार के लिए पात्र उम्मीदवारों की सिफारिश करेगी। यह बताया गया कि प्रश्नगत पद के लिए 93 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 64 उम्मीदवारों को पात्र घोषित किया गया था और 29 उम्मीदवारों, जिनमें उत्तरदाता सं. 1 शामिल था, को अपात्र घोषित किया गया था। उसके बाद, पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार आयोजित किया गया और दिनांक 26.09.2017 को पदोन्नति आदेश जारी किया गया जिसके माध्यम से 64 उम्मीदवारों में से केवल 39 को उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पदों पर पदोन्नत किया गया था। इस प्रकार, यह दलील दी गई कि भले ही यह मान लिया जाए कि उत्तरदाता सं. 1 पात्रता मानदंडों को पूरा कर रहा था, सी.ए.टी दिनांक 30.12.2020 के आदेश में और उच्च न्यायालय आक्षेपित आदेश में उत्तरदाता सं. 1 को उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता था। यह दलील दी गई कि निर्देश केवल प्रश्नगत पद पर पदोन्नति के लिए उत्तरदाता सं. 1 पर विचार करने के लिए जारी किए जा सकते थे। तदनुसार, इस अपील को अनुमति देने की प्रार्थना की गई।

उत्तरदाता सं. 1 द्वारा दलीलें:

15. *इसके विपरीत*, उत्तरदाता सं. 1 (एकमात्र प्रतिस्पर्धी उत्तरदाता) के लिए विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि सी.ए.टी ने फैसला सुनाया है कि भर्ती विनियमों या परिपत्र में कोई आवश्यकता नहीं थी कि एक उम्मीदवार जिसने चार वर्षों की योग्य सेवा पूरी कर ली थी उसे बिना किसी अंतराल के अपीलकर्ता में विलय होने की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करनी चाहिए। यह दलील दी गई कि सी.ए.टी के इस आदेश को आक्षेपित आदेश द्वारा बरकरार रखा गया है, यह देखते हुए कि परिपत्र स्पष्ट और असंदिग्ध था कि प्रतिनिधित्व सेवा पर विचार

किया जाना था और यह प्रदान नहीं किया कि उस सेवा पर विचार किए जाने के लिए व्यक्ति को प्रतिनिधित्व पर जारी रहना चाहिए या विलय होना चाहिए।

16. आगे, यह दलील दी गई कि अपीलकर्ता सी.ए.टी और उच्च न्यायालय के अच्छी तरह से तर्कपूर्ण आदेशों में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला बनाने में विफल रहा है। उत्तरदाता सं. 1 ने बिना किसी अंतराल के छह वर्षों के लिए प्रतिनिधित्व आधार पर सेवा की थी, जो चार वर्षों की आवश्यकता से कहीं अधिक है। यह दलील दी गई कि उसे मूल विभाग में वापस जाना पड़ा क्योंकि प्रतिनिधित्व की अधिकतम अवधि समाप्त हो गई थी लेकिन परीक्षा पास करने के बाद सीधी भर्ती आधार पर सबसे पहले अवसर पर अपीलकर्ता वापस आ गया था। यह दलील दी गई कि प्रासंगिक समय पर उसके प्रतिनिधित्व को शासित करने वाले सेवा नियमों के साथ उसके अनुपालन को उसके खिलाफ नहीं माना जाना चाहिए।
17. विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि अपीलकर्ता की दलीलों को स्वीकार किया जाता है, तो यहां तक कि जो व्यक्ति 2013 में अपीलकर्ता में शामिल हुए थे लेकिन परिपत्र की तारीख पर सेवा में थे वे पदोन्नति के लिए पात्र होंगे, लेकिन उत्तरदाता सं. 1 2008 में शामिल होने के बावजूद नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से मनमाना और अनुचित होगा। इसके अलावा, जैसा कि सी.ए.टी ने नोट किया, अपीलकर्ता ने तीन अन्य उम्मीदवारों को परिपत्र का लाभ दिया लेकिन केवल उत्तरदाता सं. 1 के मामले में, परिपत्र और कार्यकारी समिति के निर्णय को लागू नहीं किया गया है, जो भेदभावपूर्ण है। यह बताया गया कि यहां तक कि ये तीन अन्य उम्मीदवार भी उत्तरदाता सं. 1 से जूनियर हैं और 2010-11 में शामिल हुए हैं।
18. अगला, यह दलील दी गई कि 'सेवा में अंतराल' की अवधारणा वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि चार वर्षों की योग्य सेवा को मान्यता दी गई है। जैसा कि सी.ए.टी और उच्च न्यायालय ने नोट किया, अपीलकर्ता का तर्क परिपत्र में एक अतिरिक्त आवश्यकता डालने के बराबर है, जो भर्ती विनियमों, परिपत्र या कार्यकारी समिति के निर्णय की साधारण भाषा द्वारा समर्थित नहीं है। आगे, यह दलील दी गई कि **संजीव कुमार शर्मा** (उपरोक्त) में निर्णय जिस

पर अपीलकर्ताओं ने भरोसा किया था उन्हें उनके मामले में मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि 'सेवा में अंतराल' या 'विलयन' का प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुद्दा नहीं था। इन कारणों से, विद्वान अधिवक्ता ने अपील को खारिज करने की मांग की।

विश्लेषण, तर्क और निष्कर्ष:

19. अपना गहन विचार देने के बाद, हम पाते हैं कि अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दो बुनियादी मुद्दों को संबोधित करने की आवश्यकता है।
20. *पहला*, और सबसे महत्वपूर्ण, यह है कि परिपत्र दिनांक 22.05.2017 के नियमों के अनुसार उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर ऐसी एक-बार पदोन्नति के लिए मानदंड क्या होगा, और; *दूसरा*, यह है कि क्या उत्तरदाता सं. 1 प्रासंगिक तारीख पर ऐसे मानदंडों को पूरा करता है।
21. परिपत्र में, खंड 6 की भाषा बहुत स्पष्ट है और यह निर्धारित करती है कि एक व्यक्ति की प्रतिनिधित्व सेवा, यदि कोई हो, जो अपीलकर्ता में प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर प्रदान की गई हो, उसे उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के उद्देश्यों के लिए नियमित सेवा के रूप में माना जाएगा और ऐसी पदोन्नति काल्पनिक होगी जो उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को वह पदोन्नति की पात्रता मानदंडों को पूरा करता है लेकिन ओ.ए सं. 3696/2014 और 3762/2014 के आवेदकों के विलयन की तारीख के बाद नहीं, दिनांक 29.12.2014 के आदेशों के अनुसार, चयन समिति की सिफारिशों के अधीन।
22. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि प्रतिनिधित्व की अवधि को भी ऐसी पदोन्नति पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना है लेकिन सवाल इस तथ्य में निहित है कि क्या एक व्यक्ति, जो खंड 6 के लागू होने से पहले, अपने मूल विभाग में वापस भेजा गया था और अपीलकर्ता की सेवा में अब और नहीं था वह उक्त खंड का लाभ उठा सकता है।
23. वर्तमान मामले में, उत्तरदाता सं. 1 को शुरुआत में दिनांक 27.05.2008 के आदेश द्वारा प्रतिनिधित्व पर प्रबंधक (तकनीकी) के रूप में नियुक्त किया गया था और दिनांक

13.06.2014 तक इस रूप में काम किया। उसके बाद, उसे उसके मूल विभाग अर्थात् राजमार्ग और लघु बंदरगाह विभाग, तमिलनाडु सरकार में वापस भेजा गया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता सं. 1 की दिनांक 13.06.2014 से वापसी तमिलनाडु राज्य में एक सरकारी विभाग में पूर्णकालिक आधार पर थी क्योंकि यह उत्तरदाता सं. 1 का मूल विभाग था और अपीलकर्ता से असंबंधित था। उत्तरदाता सं. 1 बाद में प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर सीधी भर्ती आधार पर अपीलकर्ता की सेवा में शामिल हुआ जिसके लिए उसे दिनांक 26.08.2015 को चयनित किया गया था और अंततः दिनांक 02.09.2015 को नियुक्त किया गया था भले ही दिनांक 26.08.2015 से प्रभावी होने के साथ। इस प्रकार, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, इसका अर्थ था उत्तरदाता सं. 1 का अपीलकर्ता में स्थायी आधार पर सीधा और ताजा प्रवेश। चूंकि उसे ऐसी स्थायी नियुक्ति से एक वर्ष से अधिक समय पहले उसके मूल विभाग में वापस भेजा गया था, इसे 'विलयन' नहीं कहा जा सकता है जो उपर्युक्त खंड 6 में उल्लेख पाता है। इस प्रकार, उत्तरदाता सं. 1 प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर सीधे अपीलकर्ता की सेवा में एक ताजा और नया भर्ती था। यह दिनांक 27.05.2008 से 13.06.2014 तक एन.एच.ए.आई के साथ उसकी पिछली सेवा से पूरी तरह से असंबंधित/असंयोजित था जो लेनदेन पूरा हो गया था और जब उत्तरदाता सं. 1 को उसके मूल विभाग में वापस भेजा गया था तो अंतिम रूप से पहुंच गया था।

24. उत्तरदाता सं. 1 इस प्रकार उसी कतार में खड़ा नहीं है जिसमें अन्य तीन व्यक्ति थे, अंतर यह है कि अन्य व्यक्ति प्रासंगिक समय (अंतराल) पर अपीलकर्ता के साथ/में काम कर रहे थे। मामले के इस दृष्टिकोण में, उन व्यक्तियों को दिए जा रहे लाभ के लिए कोई अन्य अर्थ नहीं दिया जा सकता है, जो प्रतिनिधित्व सेवा पर थे और इस प्रकार उस पद पर चार वर्षों से अधिक समय तक रहे थे। उत्तरदाता सं. 1 ने स्पष्ट रूप से दिनांक 22.05.2017 को 4 वर्ष पूरे नहीं किए थे क्योंकि कानून में उसे दिनांक 26.08.2015 से नए सिरे से गिना जाना है न कि पिछली तारीख से। यह इस कारण से है कि यदि उत्तरदाता सं. 1 ने सीधी भर्ती के रूप

में चयन प्रक्रिया के लिए आवेदन नहीं किया होता और भाग नहीं लिया होता, तो खंड 6 के तहत किसी भी पदोन्नति के लिए उसका दावा उत्पन्न नहीं हुआ होता। विचार की तारीख पर अपीलकर्ता के साथ पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों और प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर चार वर्षों से अधिक सेवा पूरी कर चुके व्यक्तियों पर ही विचार किया जाना आवश्यक था। यहां, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि खंड 6 का एकमात्र उद्देश्य प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर प्रतिनिधित्व पर काम करने वाले व्यक्ति और अपीलकर्ता की सेवा के तहत प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर नियमित रूप से काम करने वाले व्यक्ति के बीच के अंतर को मिटाना था। यह भी 'एक-बार के उपाय' के रूप में किया गया था। इस प्रकार, तय किया जाने वाला कानूनी मुद्दा यह है कि क्या उत्तरदाता सं. 1 को दिनांक 21.05.2008 से 13.06.2014 तक प्रतिनिधित्व पर अपनी पिछली सेवा के लाभ के बिना एक नए प्रवेशकर्ता के रूप में माना जाना है या उसे एक नए नियुक्त व्यक्ति के रूप में माना जाना है, जिस मामले में घड़ी, ऐसा कहने के लिए, केवल दिनांक 26.08.2015 से टिकना शुरू करेगी।

25. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क सही है कि यदि उत्तरदाता सं. 1 द्वारा प्रस्तुत की गई खंड 6 की व्याख्या दी जाती है, तो यह उन सभी व्यक्तियों को कवर करेगा जिन्होंने, किसी भी समय, अपीलकर्ता के साथ चार वर्ष तक काम किया हो सकता है, लाभ प्राप्त करते हुए, यहां तक कि अपीलकर्ता की सेवा में अंतराल के साथ भी। प्रतिनिधित्व पर एक व्यक्ति को उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए अपीलकर्ता द्वारा एक एक-बार का लाभ दिया गया था ताकि लंबे समय से चल रहे मुकदमेबाजी को समाप्त किया जा सके और उन उम्मीदवारों को निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित किया जा सके जिन्होंने सीधी भर्ती के लिए जाकर प्रतिस्पर्धा का सामना करना चुना था जैसा कि दिनांक 12.10.2017 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक के उपरोक्त उद्धृत दिनांक 20.10.2017 के कार्यवृत्त से स्पष्ट होगा। उक्त कार्यवृत्त उन लोगों के लिए एक खिड़की खुली छोड़ देता है जो कुछ अवधि के लिए अपीलकर्ता में सेवा से अनुपस्थित हो

सकते हैं, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अनुपस्थिति की ऐसी अवधि प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करने के उद्देश्यों तक सीमित थी उदा. तकनीकी इस्तीफा/सेवानिवृत्ति आदि जमा करना/स्वीकार करना।

26. वर्तमान मामले में, उत्तरदाता सं. 1 उपरोक्त विशिष्ट उद्देश्यों में से किसी के लिए नहीं, बल्कि एक स्थायी आधार पर अर्थात्, उसे उसके मूल विभाग में वापस भेजा जाना के कारण अपीलकर्ता की सेवा से अनुपस्थित था। दुर्भाग्य से, हमारे दिमाग में, 'प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करना उदा. तकनीकी इस्तीफा/सेवानिवृत्ति आदि जमा करना/स्वीकार करना' में 'आदि' उत्तरदाता सं. 1 की स्थिति को कवर नहीं करेगा। जाहिर है, उत्तरदाता सं. 1 ऐसे प्रतिनिधियों के लिए एक बचत प्रावधान का लाभ नहीं उठा सकता है जिन्हें, कुछ अवधि के लिए, वापस जाना पड़ा लेकिन अपीलकर्ता में वापस आने के उद्देश्यों के लिए, जिन्हें उपरोक्त कार्यवृत्त में शामिल किया गया है।
27. उपर्युक्त कारणों से, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता ने हस्तक्षेप के लिए एक मामला बनाया है और उत्तरदाता सं. 1 को पदोन्नति न देने का अपीलकर्ता द्वारा लिया गया निर्णय बरकरार रखे जाने की आवश्यकता है। अन्य तीन व्यक्तियों को इस कारण से पदोन्नति दी गई थी कि वे तीन व्यक्ति विचार की तारीख पर अपीलकर्ता के साथ/में बहुत अधिक काम कर रहे थे और चार वर्षों की न्यूनतम आवश्यक सेवा पूरी कर चुके थे जबकि उत्तरदाता सं. 1 ने चार वर्षों की न्यूनतम आवश्यक सेवा पूरी नहीं की थी। इसलिए, उसे सी.ए.टी के निर्देश के अनुसार दिनांक 23.07.2017 से पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जा सकता था क्योंकि उसने प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर सीधी भर्ती के पश्चात उस पद पर शामिल होने के बाद चार वर्ष पूरे नहीं किए थे, जिस पर सेवा केवल दिनांक 26.08.2015 से मानी जा सकती थी। यहां तक कि अन्यथा, '...पिछली सेवाओं को केवल तभी ध्यान में रखा जा सकता है जब नियम इसकी अनुमति देते हैं या जहां कोई विशेष स्थिति मौजूद हो, जो कर्मचारी को

पिछली सेवा का ऐसा लाभ प्राप्त करने के हकदार बनाएगी।³ उत्तरदाता सं. 1 द्वारा प्रक्षेपित वर्तमान मामला परिपत्र या दिनांक 12.10.2017 की बैठक के दिनांक 20.10.2017 के कार्यवृत्त के तहत कवर नहीं किया जाता है।

28. इसके अलावा, परिपत्र दिनांक 25.05.2017 स्वयं **संजीव कुमार शर्मा** (उपरोक्त) में दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ के आदेश का परिणाम था, जिसमें यह देखा गया था कि याचिकाकर्ताओं पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाए क्योंकि सेवा में कोई अंतराल नहीं था। वर्तमान मामले में, वापसी पर, उत्तरदाता सं. 1 का अपीलकर्ता को कोई बाद का प्रतिनिधित्व नहीं था। प्रबंधक (तकनीकी) के पद पर सीधी और नियमित भर्ती के लिए एक प्रक्रिया में भाग लेने के पश्चात एक वर्ष से अधिक समय के बाद ही, उत्तरदाता सं. 1 को दिनांक 26.08.2015 से प्रभावी होने के साथ नियुक्त किया गया था। इसलिए, हमें कोई संदेह नहीं है कि परिपत्र दिनांक 22.05.2017 उत्तरदाता सं. 1 को दिनांक 27.07.2017 से प्रभावी होने के साथ उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति के लिए विचार के लिए कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगा।
29. तदनुसार, आक्षेपित आदेश दिनांक 01.03.2023 के साथ ही ओ. ए. सं. 310/01633/2020 में सी.ए.टी का आदेश दिनांक 30.12.2020 भी कायम नहीं रखा जा सकता है और उसे अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, उत्तरदाता सं. 1 द्वारा दायर उक्त मूल आवेदन खारिज किया जाएगा। उत्तरदाता सं. 1 पर भर्ती विनियमों और परिपत्र के नियमों के अनुसार और इस आदेश में की गई चर्चाओं के अनुसार पदोन्नति (पदोन्नति) के लिए विचार किया जाएगा और सेवा के सभी परिणामी लाभ (पेंशन आदि सहित, यदि और जैसा लागू हो) उत्तरदाता सं. 1 के अपीलकर्ता की सेवा में प्रवेश की तारीख को दिनांक 26.08.2015 मानकर गिना जाएगा। हालांकि, उत्तरदाता सं. 1 को किए गए अधिक भुगतान की कोई वसूली/समायोजन नहीं किया जाएगा, यदि कोई हो।

3 इंदु शेखर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2006) 8 एससीसी 129

30. अपील स्वीकार की जाती है।

31. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकार की गई।

हेडनोट्स तैयार किया गया: निधि जैन

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।